जेपीडी/6-36

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर

पत्र कमांक/जेपीडी /मु.ले(ले.क.रा.)/राजस्व/प्रत्रा.506/प्रे. 2268 दिनांक 20/09/12

आदेश

निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा बन्द एवं त्रुटिपूर्ण मीटरों की भारी संख्या की गहराई से जांच एवं समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बिलिंग एजेन्सियों एवं विभागीय मीटर रीडरों द्वारा विद्युत सप्लाई की अनुपलब्धता के कारण मीटर पठन डिस्पले न होने के कारण मीटर स्टेटस "D" (डिफेक्टिव) का इन्द्राज कर दिया जाता है, परिणाम स्वरूप एक तरफ तो वास्तविक रूप से मीटर सही होने के बाबजूद त्रुटिपूर्ण मीटरों की संख्या मे लगातार बढोतरी होती रहती हैं एवं दूसरी तरफ निगम को भी उपभोक्ता के वास्तविक उपभोग के राजस्व से वंचित होना पड़ता हैं।

निगम द्वारा इस प्रकार के मामलो को गंभीरता से लिया गया है एवं इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित पक्षों की अनुपालना हेतु निम्न आदेश प्रसारित किये जाते हैं।

1. बिलिंग एजेन्सियों द्वारा अपने स्तर पर उक्त प्रकरणों की गहराई से जांच की जायेगी एवं अपने स्तर पर ही उक्त प्रकार के मीटरों का मीटर स्टेटस सही किया जायेगा एवं उपभोक्ताओं को वास्तविक उपभोग की बिलिंग की जायेगी साथ ही त्रुटिपूर्ण मीटर स्टेटस मानते हुए पूर्व में जारी बिलों का समायोजन भी किया जायेगा।
2. सभी सहायक अभियन्ता एवं सहायक राजस्व अधिकारी भी अपने स्तर पर उक्त प्रकरणों की गहराई से जांच करेंगे एवं उक्त प्रकार के बाकी बचे मामलों की सूची बिलिंग एजेन्सियों को भेजकर मीटर स्टेटस को सही करवाने एवं पूर्व में जारी समायोजन योग्य बिलों की अवधि दर्शाकर, समायोजन हेतु प्रेषित करेंगे।
3. सभी सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता अनिवार्य रूप से अपने पास बिलिंग प्रोग्राम की एक प्रति रखेंगे एवं यथासम्भव तद्नुसार मीटर पठन किये जाने वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
4. मीटर पठन पर जाने से पूर्व सभी मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सियों एवं विभागीय) अनिवार्य रूप से सम्बन्धित उपखण्ड के सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता से नियमित सम्पर्क स्थापित करेंगे एवं मीटर पठन किये जाने वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बहाल रखने हेतु नियमित रूप से आग्रह करते रहेंगे।
5. उपरोक्त उपायों (बिन्दु 3 एवं 4) के पश्चात भी यदि किसी क्षेत्र/ जगह विशेष में विद्युत आपूर्ति न होने के कारण मीटर द्वारा पठन दर्शित (display) न किये जाने की अवस्था में मीटर रीडर द्वारा **मीटर स्टेटस "W" अंकित/एन्टर किया जायेगा।**
6. मीटर स्टेटस "W" अंकित/एन्टर किये गये उपभोक्ताओं की बिलिंग TCOS-2004 के क्लाज 37 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पिछले चार माहों के औसत के आधार पर की जायेगी एवं इस आधार पर जारी गये बिल आगामी माह/माहो में वास्तविक मीटर पठन एवं उपभोग के बिल जारी किये जाने की अवस्था में समायोजन के अधीन होंगे।

7. क्षेत्र/जगह विशेष में विद्युत आपूर्ति के बावजूद भी मीटरों के डिस्पले आउट होने के प्रकरणों में मीटर रीडरों द्वारा इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश संख्या 1437 दिनांक 11.09.2008 के अनुसार मीटर का स्टेटस कोड "A" अंकित किया जाएगा एवं बिलिंग एजेन्सी द्वारा आदेश संख्या 1602 दिनांक 29.09.2008 में वर्णित प्रकियानुसार बिल जारी किया जायेगा। (उक्त दोनों आदेशो की प्रति संलग्न हैं।) इस प्रकार के मीटरों में दर्ज उपभोग को HHT या मीटर लेब द्वारा मीटर पठन करवाने हेतु प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होगे तथा इस प्रकार से मीटर पठन लिए जाने तक इन मीटरों को सुरक्षित रखे जाने हेतु भी उत्तरदायी होगे।
8. पूर्व जारी आदेशानुसार बिलिंग एजेन्सियों द्वारा, अपने मीटर रीडरों को, मीटर पठन कार्यारम्भ से पूर्व समुचित प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक हैं सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा भी इसकी जांच एवं संतुष्टि आवश्यक हैं। अतः सभी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता नियमित रूप से समय-समय पर सभी मीटर रीडरों की कार्यक्षमता की जांच कर आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्रों में कार्यरत मीटर रीडर, स्थापित मीटरों के पठन हेतु सक्षम हैं या नही तथा वे विभिन्न मीटर स्टेटस कोड के उपयोग एवं परिणामों से भी परिचित हैं या नहीं (मीटर स्टेटस कोड की प्रति इस कार्य हेतु संलग्न हैं।) इस कार्य हेतु सहायक अभियन्ता आवश्यकतानुसार समुचित प्रशिक्षण का आयोजन करेंगे एवं अयोग्य मीटर रीडर के स्थान पर सम्बन्धित एजेन्सी को योग्य मीटर रीडर प्रदान करने की संस्तुति करेंगे।
9. सभी अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता अपने अधीनस्थ उपखण्डों में इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने हेतु उत्तरदायी होगे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(कुंजी लाल मीणा)
अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबंध निदेशक, अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (O&M/Comml.) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर ।
3. अधीक्षण अभियन्ता (O&M/JPDC/JCC) जयपुर डिस्कॉम ....
4. अधिशाषी अभियन्ता (   ) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी (   ) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
6. लेखाधिकारी (.............. वृत) जयपुर डिस्कॉम ....
7. तकनीकी सहायक माननीय अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक महोदय/निदेशक (तकनीकी) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
8. मैसर्स डाटा इंफोसिस लि. / मै. बीसीआईटीएस लि.

(के. एल. गुप्ता)
मुख्य लेखाधिकारी (लेकरा)

(170)

JPD-6/280

Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited

(Office of the Sr. Accounts Officer (H.Q.)
Shed No. 6 Jyoti Nagar, Janpath, Jaipur 302005
Tele- Fax No. 0141-2747039

No. JPD/Sr.AO(HQ)/REV/F.215(IV) /D   Jaipur, dated 11-09-2008

ORDER

Various electronic meters have been found not displaying the reading parameters causing average billing as per Terms and Conditions of Supply besides consumer grievances. To know the number and type of electronic meters not displaying the reading, a new character code "A" is hereby prescribed with immediate effect to be recorded in the MRR A 10 by the Meter Readers and in MB-11 by the ledger keepers. Where spot billing is in existence the billing agency shall show the code in the spot bill. This code shall also be incorporated in all the output report of defective meters by all the computer agencies doing the billing work.

(K.L. Gupta)
Sr. Accounts Officer (H.Q.)

Copy to the following for information and necessary action.

1. The Chief Engineer(   ),JPD, ___________
2. The Superintending Engineer(__________),JPD_______________
3. The Sr.AO/AO(_____________),JPD__________ _ ________
4. The Executive Engineer(________),JPD ___________ _____along with 4 spare copies for their unit office .
5. M/s____

Sr. Accounts Officer (H.Q.)

Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited

(Office of the Sr. Accounts Officer (H.Q.)
Shed No. 6 Jyoti Nagar, Janpath, Jaipur 302005
Tele- Fax No. 0141-2747039

No. JPD/Sr.AO(HQ)/REV/F.215(IV) /D. 1694 Jaipur, dated: 29/9/08

CLARIFICATION

As per order No. JPD/ Sr. AO(HQ) /Rev./F.215(iv)/D. 1437 dated 11.9.2008 issued from this office, where meter is not displaying it's reading, consumers are to be billed on average basis apart from indicating character code "**A**" in MRR (A-10), MB-11 & spot billing machines, as the case may be.

Doubts have been raised from certain corners that whether average in such cases has to be charged in accordance with the provisions prescribed under clause 27 or clause 37 of the TCOS - 2004.

The matter has been examined and it is hereby clarified that since reading of such meters could be taken through the HHD, as such average should be billed as per provisions prescribed under clause 37 i.e. on the basis of average of the previous four months consumption and on meter reading becoming accessible, average already charged is adjustable accordingly.

(K.L. Gupta)
Sr. Accounts Officer (H.Q.)

Copy to the following for information and necessary action.

1. **The Chief Engineer/Dy.Chief Engineer ( ),JPD, __________**
2. **The Superintending Engineer( ),JPD____________**
3. **The Sr.AO/AO( ),JPD________________**
4. **The Executive Engineer (________),JPD_______________along with 4 spare copies for their unit office .**
5. **M/s________________________________**

Sr. Accounts Officer (H.Q.)

C:\Documents and Settings\Administrator.PCS\My Documents\pkk\Order.doc

ANN. – A

B) METER STATUS IN MB-11.

1. B = Meter burnt.
2. D = Meter defective.
3. S = Meter stopped.
4. M = Meter Body seal broken.
5. G = Glass broken.
6. K = Meter Box seal broken.
7. T = Terminal seal broken.
8. O = Obstacle.
9. L = Premises found locked.
10. R = Round complete.
11. C = Meter changed.
12. N = Reading not taken.
13. A = Display out.
14. W = Area without supply.